रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

ठा0 खम्बीर सिंह हरप्यारी देवी पब्लिक हाईस्कूल
राजनगर, विद्युतनगर, एन0टी0पी0सी0 ऊँचा अमीनपुर रोड दादरी
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक : मा0 शि0 प0 / मान्यता (मे0) 1277 9–10 मेरठ : दिनांक 31/10/08

विषय :–सीधे / हाई स्कूल (~~नवीन~~) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7–क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था ठा0 खम्बीर सिंह हरप्यारी देवी प0 हाईस्कूल राजनगर, विद्युतनगर, एन0टी0पी0सी0 ऊँचा अमीनपुर रोड दादरी गौतमनगर को बालक / ~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2010 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) वित्तविहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :–

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्ध तंत्र कक्षा 9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाये अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज–सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी होगी।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने स्रोतों से की जाय।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे।

THAKUR KHAMBEER SINGH
HARPYARI DEVI PUBLIC SCHOOL
UNCHA AMIPUR (G. B .NAGAR)

प्रबंधक/सचिव
राज सिंह शिशौदिया शिक्षा समिति
एनटीपीसी ऊंचा अमीपुर गौतम बुद्ध नगर

(कृ0 प0 उ0)

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) विद्यालय भवन में कक्षा 9–10 के अलावा संचालित कक्षाएं अमान्य होगी तथा वह विद्यालय का भाग न होगा।

टिप्पणी—इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।
27/10/2008

पृष्ठांकन सं० : मा० शि० प०/मान्यता (मे०) दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–जिला विद्यालय निरीक्षक ; गौतमबुद्धनगर

2–संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ; मेरठ।

3–हाई स्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

4–सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

पी०एस०यू०पी० (आर०आर०) 60 मा०शि०प०–16–10–08–5000 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,
मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
ठाकुर खम्बीर सिंह हरप्यारी देवी पब्लिक
राजनगर, विद्युतनगर एन0टी0पी0सी0, ऊँचा अमीनपुर,
दादरी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांकः आई0वी0/मान्यता/मे0/ 871 दिनांकः 30-05-2015

विषयः इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधित) अधिनियम–1987 की धारा–7 क (क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय ठाकुर खम्बीर सिंह हरप्यारी देवी पब्लिक राजनगर, विद्युतनगर एन0टी0पी0सी0 ऊँचा अमीनपुर दादरी गौतमबुद्धनगर को बालक विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष–2017 की इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7 क (क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया गया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम–1987 की धारा–7 क (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीनं/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धें की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम–1987 की धारा–7 क (क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है, तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय, को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

कृ0प0उ0

MANAGER
THAKUR KHAMBEER SINGH
HARPYARI DEVI PUBLIC SCHOOL
UNCHA AMIPUR (G. B .NAGAR)

प्रबंधक/सचिव
राज सिंह शिशौदिया शिक्षा समिति
एनटीपीसी ऊंचा अमीपुर गौतम बुद्ध नगर

(ग) प्रतिभूति (जमानत) की धनराशि रू0 10,000=00 विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बंधक बनाकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजें।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी एवं सभापति बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 06.11.2012 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी–फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का प्रारूप

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर मानविकी तथा		हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कला, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल
इण्टर वाणिज्य नवीन वर्ग		हिन्दी, अंग्रेजी, बहीखाता तथा लेखाशास्त्र, व्यापारिक संगठन पत्र व्यावहार एवं बाजार विवरणी, अधिकोषण तत्व, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल, गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी

टिप्पणीः– उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।

भवदीय

क्षेत्रीय सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या–आई0वी0/मान्यता/मे0/ दिनांकः

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
2. सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
3. संभागीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ।
4. इण्टर परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद

क्षेत्रीय सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
ठा0 खम्बीर सिंह हरि प्यारी देवी पब्लिक इण्टर कालेज
ऊँचा अमीपुर गौतमबुद्धनगर

पत्रांक : मा0शि0प0/मान्यता /मे0/ 343 दिनांक– 12-07-2019

विषयः इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति ,माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्याः 1193/15–7–2019–1(25)/2019 दिनांक 11 जुलाई 2019 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम–1987 की धारा 7क (क) के अन्तर्गत आपकी संस्था ठा0 खम्बीर सिंह हरि प्यारी देवी पब्लिक इण्टर कालेज ऊँचा अमीपुर गौतमबुद्धनगर को परिषद की वर्ष 2021 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धो के साथ नवीन/ अति0 वर्ग/ विषयो मे मान्यता प्रदान किया है। यह मान्यता बालक विद्यालय के रूप में प्रदान की गयी है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के प्राविधानो के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन /अतिरिक्त वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था ,शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा ,शिक्षण सामग्री ,प्रयोगशाला ,भूमि/भवन पुस्तकालय ,प्राभूत, सुरक्षित कोष एंव आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धो की पूति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद को अवगत कराये।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एंव परिषद को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र मे अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें सचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होगे । इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा ।

कृ0प0उ0

MANAGER
THAKUR KHAMBEER SINGH
HARPYARI DEVI PUBLIC SCHOOL
UNCHA AMIPUR (G. B .NAGAR)

प्रबंधक/सचिव
राज सिंह शिशौदिया शिक्षा समिति
एनटीपीसी ऊंचा अमीपुर गौतम बुद्ध नगर

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है , अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ,जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एंव कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओ के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे, अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूति (जमानत) की धनराशी रूपये 5000.00 (रूपये पांच हजार प्रति वर्ग की दर से) विद्यालय के नाम एवं जिला विद्यालय के पदनाम में बन्धक करा कर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।

(घ) यह मान्यता आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्व 05 अन्य विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरी फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वैज्ञानिक वर्ग अति0	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान	

विषय **टिप्पणी** – इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धो की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय

(राणा सहस्रांशु कुमार''सुमन'')
अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय ,मेरठ

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/मान्यता /मे0/ दिनांक–

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियो को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 उप सचिव (शिक्षा –7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

2. सचिव ,माध्यमिक शिक्षा परिषद ,मुख्य कार्यालय ,प्रयागराज।

3 सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।

4 जिला विद्यालय निरीक्षक,गौतमबुद्धनगर।

5 परीक्षा अनुभाग ,माध्यमिक शिक्षा परिषद,क्षेत्रीय कार्यालय ,मेरठ।

(राणा सहस्रांशु कुमार''सुमन'')
अपर सचिव